न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 24 / 2021

वादिनीः–

श्रीमती सुआदेवी पुत्री कानिया उर्फ कानाराम पत्नी हंजाराम जाति मेघवाल निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. गणेशाराम पुत्र केशाराम
2. तगाराम पुत्र केशाराम
3. छगनाराम पुत्र चुनाराम
4. लिखमाराम पुत्र चुनाराम
5. श्रीमती सुकली पत्नी चुनाराम
6. देवाराम पुत्र मानाराम
7. बाबुलाल पुत्र मानाराम
8. लादूराम पुत्र मानाराम
9. भटाराम पुत्र राणाराम

   जाति मेघवाल निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री कैलासपुरी वकील वादिनी

2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित

::निर्णय:: दिनांकः–31.03.2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी की आवगी हक एवं कब्जाकाश्त की भूमि खसरा संख्या 34 व 36 कुल रकबा 30–12 बीघा ग्राम पंऊ तहसील सिवाना में अवस्थित है । वक्त बंदोबस्त उक्त भूमि वादिनी के पिता कानिया वल्द परतापा की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की थी, जिसके प्रथम श्रेणी के दो वारिस–वादिनी श्रीमती सुआ एवं पुत्र कस्तुराराम– थे। किन्तु कानिया के फौत होने पर वादिनी एवं कस्तूराराम दोनों के नाम नामान्तरकरण दायर करने के बजाय कस्तुराराम अकेले के नाम दायर कर दिया और बाद में कस्तुरा के लाऔलाद फौत होने पर वादिनी बहिन के रूप में वारिस विद्यमान होने के बावजूद जरिये नामान्तरकरण उसके दूर के रिश्तेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम समग्र वादग्रस्त भूमि का अमलदरामद कर दिया गया, इस प्रकार वादिनी बावजूद आवगी खातेदारी की हकदार होने के, खातेदारी से महरूम हो गई, जबकि वादिनी ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। अतः वादिनी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की प्रविष्टि निरस्त करवाते हुए अपनी खातेदारी में घोषित करवाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं किये जाने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 6 से 8 ने इकबाली जबाब प्रस्तुत कर वाद के समस्त तथ्यों की ताईद करते हुए माफिक इस्तदुआ वाद स्वीकर किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। शेष प्रतिवादीगण के बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.28 17:56:13 IST
Reason: SelfAttested

वादिनी की ओर से वाद के समर्थन मे स्वयं वादिनी सुआदेवी पी.डब्लयू 1, खीमाराम पी.डब्लयू 2 व गीगाराम पी.डब्लयू 3 द्वारा साक्ष्य स्वरूप अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा दसतावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2071–74 प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, कानिया की फौतदगी पर दायर ना.क. प्रदर्श 3, कस्तूरा की फौतदगी पर दायर ना.क. प्रदर्श 4, वादग्रस्त भूमि की खतौनी सम्वत् 2009 प्रदर्श 5,खतौनी सम्वत् 2031–34 प्रदर्श 6, खतौनी सम्वत् 2023–26 प्रदर्श 7, केशाराम के वारिसान द्वारा निष्पादित वादिनी के पक्ष में बक्शीशनामा प्रदर्श 8 एवं उसकी छायाप्रति प्रदर्श 8 ए, सरंपच ग्राम पंचायत पंऊ द्वारा जारी कानिया का वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 प्रस्तुत हुए।

वकील वादिनी की बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादिनी ने निवेदन किया कि कानिया की मृत्यु के समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके पुत्र कस्तुरा एवं पुत्री वादिनी सुआ के रूप में दो प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद कस्तूरा अकेले के नाम से तथा कस्तुरा के लाऔलाद कुंआरा फौत होने पर वादिनी को नजरअंदाज करते हुए उसके दूर के रिश्तेदारों– प्रतिवादी संख्या 1 से 9– के नाम नामान्तरकरण पारित करने मे भारी विधिक भूल की गई है । वास्तव में कस्तुरा के लाऔलाद फौत होने पर वादिनी ही उसकी इकलौती वारिस होने से वादग्रस्त भूमि की आवगी खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने की हकदार है तथा उसी का कस्तुरा की मृत्यु से पूर्व 1/2 हिस्से पर तथा उसके बाद समग्र वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मे दिये गये प्रावधानों के अनुसार वक्त मृत्यु किसी हिन्दु निर्वसीयती के प्रथम श्रेणी के वारिसान की विद्यमानता होने की सूरत में ना तो द्वितीय या तृतीय श्रेणी के वारिसान पर विचार किया जा सकता है और न प्रथम सूची के किसी वारिस को उसके जायज वारिसाना हकों से महरूम किया जा सकता है। इस प्रकार वादिनी अपने पिता कानिया की मृत्यु पर अपने भाई कस्तूरा के साथ बहिस्सा बराबर यानि निष्फानिष्फ खातेदारी की अधिकारिणी थी और कस्तूरा के लाऔलाद कुंवारी स्थिति में फौत होने के पर उसकी बहिन के रूप में द्वितीय सूची की वारिस होने के नाते समग्र वादग्रस्त भूमि की आवगी खातेदार हो गई। इस प्रकार वादिनी अपने भाई की मृत्यु होन के बाद समग्र वादग्रस्त भूमि की आवगी हकदार होने से उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रविष्टियां निरस्त करवाते हुए उक्त भूमि अपनी आवगी खातेदारी में घोषित करवाने की अधिकारिणी है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

हमने वकील वादिनी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध गवाहन के शपथ पत्रों एवं दस्तवेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार किसी निर्वसीयती की मृत्यु होने पर उसके वारिसाना हको का अन्तरण उसी विधि के तहत होगा, जिसके की वह मृत्यु के समय अध्यधीन था। कानिया जाति से मेघवाल होने से वह वक्त मृत्यु हिन्दू विधि से शासित था।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

अतः उसके वारिसाना हको का अन्तरण हिन्दू विधि से होना चाहिए था। हम विद्ववान वकील वादिनी की इस दलील से सहमत हैं कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची के वारिसान की विद्यमानता [illegible] ना तो द्वितीय सूची के वारिसान पर विचार किया जा सकता है और न ही किसी प्रथम सूची के वारिस को उसके हकों से महरूम किया जा सकता है। कानिया की मृत्यु के समय वादिनी एवं कस्तूरा कमशः पुत्री एवं पुत्र के रूप में उसके दो प्रथम श्रेणी के वारिस विद्यमान थे। अतः ना.क. में वादिनी का नाम कस्तुरा के साथ दर्ज नहीं कर विधिक त्रुटि की गई है और पुनः कस्तूरा की फौतदगी पर उसकी द्वितीय श्रेणी की वारिस वादिनी के बजाय कस्तूरा के दूर के रिश्तेदारों के नाम ना.क. दायर व पारित कर उससे भी गंभीर विधिक त्रुटि की गई है। केसा के वारिसान–अनियमित रूप से पारित ना.क. संख्या 79 में जिनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.28 17:56:13 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज है– ने बख्शीशनामा निष्पादित करवाकर वादिनी की वारिसाना स्थिति एवं हकों की पुष्टि की हैं। जहां तक बख्शीशनामा की वैधता का प्रश्न है बख्शीशनामा वही व्यक्ति किसी को कर सकता है जिसके बख्शीश की जा रही भूमि में हक निहित हो। किन्तु विवेचन से जैसा कि स्पष्ट है कि जब केशाराम का वादग्रस्त भूमि में कोई हक निहित ही नही था, तो उनके द्वारा निस्पादित करवाया गया दस्तावेज स्वतः ही शून्य व निष्प्रभावी है जो कि बख्शीशनामा में लिखी तहरीर से स्पष्ट है।

अतः वादिनी कस्तूरा की मृत्यु से पूर्व वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्से की तथा उसकी मृत्यु के बाद समग्र भूमि की खातेदारी की इकलौती हकदार है।

लिहाजा वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पंऊ तहसील सिवाना के खसरा संख्या 34 व 36 कुल रकबा 4.9534 हैक्टयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की खातेदारी निरस्त करते हुए उक्त भूमि वादिनी की आवगी खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीणगण के विरूद्व वादिनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

निर्णय आज दिनांक 31.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.28 17:56:13 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **सहायक कलक्टर** (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाड़मेर) व
इजलास **श्री दिनेश विश्नोई** आर.ए.एस.

वादिनीः–

श्रीमती सुआदेवी पुत्री कानिया उर्फ कानाराम पत्नी हंजाराम जाति मेघवाल
निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गणेशाराम पुत्र केशाराम
2. तगाराम पुत्र केशाराम
3. छगनाराम पुत्र चुनाराम
4. लिखमाराम पुत्र चुनाराम
5. श्रीमती सुकली पत्नी चुनाराम
6. देवाराम पुत्र मानाराम
7. बाबुलाल पुत्र मानाराम
8. लादूराम पुत्र मानाराम
9. भटाराम पुत्र राणाराम
   जाति मेघवाल निवासी पंऊ तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या :– 24 / 2021 निर्णय दिनांक :–31.03.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलासपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पंऊ तहसील सिवाना के खसरा संख्या 34 व 36 कुल रकबा 4.9535 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की खातेदारी निरस्त करते हुए उक्त भूमि वादिनी की आवगी खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादिनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.03.2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.28 17:56:13 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर सिवाना